रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015/MAGHA 15, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2015

का.आ. 346(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 239 (अ), तारीख 24 मार्च, 1998 और का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के क्रमशः 164.750 कि.मी. से 180.820 कि.मी. (नेल्लौर बाइपास सेक्शन) और 52.800 कि.मी. से 164.750 कि.मी. (तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से विजयवाड़ा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 2661(अ), तारीख 02.09.2013 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 178.200 कि.मी. से 161.034 कि.मी. (नया चैनेज 1366.547 कि.मी. से 1383.713 कि.मी.) नेल्लौर बाइपास सेक्शन (लम्बाई 17.166 कि.मी.) के खण्ड को टोल के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की थी;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जिसे, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिसे सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16.01.2014 और सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 2661(अ), तारीख 02.09.2013 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर 178.200 कि.मी. से 161.034 कि.मी. (नया चैनेज 1366.547 कि.मी. से 1383.713 कि.मी.) तक नेल्लौर बाइपास सेक्शन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड के निवल लम्बाई 16.320 कि.मी. तथा सड़क खण्ड की समकक्ष लम्बाई 8.460 कि.मी. [0.846 कि.मी. की संरचना के लिए (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है)] हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 170.200 (नया चैनेज 1378.900) (नेल्लौर जिले में कोंडायापालेम गांव के पास)	16.320 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 170.200 (नया चैनेज 1378. 900) (नेल्लौर जिले में कोंडायापालेम गांव के पास)	0.846*	8.460	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* 60 मीटर से अधिक की संरचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)	लम्बाई (मीटर)
(i)	175.450 पर	0.846
	कुल	0.846

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियमों के अधीन टोल एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

IndiaCode

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 88.235 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/625/सीओ/14–15/जीसी नेल्लौर बाइपास]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2015

S.O. 346(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 239(E), dated the 24th March, 1998 and S.O. 78(E), dated the 4th February, 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 164.750 to kilometer 180.820 (Nellore Bypass section] and 52.800 to kilometer 164.750 (Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border to Vijayawada section) of National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh respectively to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification No. S.O. 2661(E), dated 02.09.2013 exempted the stretch of Nellore Bypass (length 17.166 km) section from km 178.200 to km 161.034 (New chainage km 1366.547 to km 1383.713) on the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh from tolling;

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 vide G.S.R. 838(E), dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated 12th January, 2011, G.S.R. 1756(E), dated 12th October, 2011, G.S.R. 778(E), dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E), dated 16.01.2014 and G.S.R. 831(E), dated 21st November, 2014 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. No. 2661(E), dated 02.09.2013 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby, notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of Nellore Bypass section from km 178.200 to km 161.034 (New chainage km 1366.547 to km 1383.713) on the National Highway No. 5 in the State of Andhra Pradesh, on the Type of Vehicles specified in column (1) at the rate specified in columns (2) of Table 1 below (hereinafter referred to as "base rate") for net road length of 16.320 km and equivalent road length of 8.460 km [for 0.846 km of structure (having more than 60 m length)] and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km/Ch. 170.200 (new chainage 1378.900) (near Kondayapalem village in Nellore district)	16.320 (Excluding length of structures >60m length)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the lengh of such structures by an equalization factor of 10.

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km/Ch. 170.200 (new chainage 1378.900) (near Kondayapalem village in Nellore district)	0.846*	8.460	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

*The details of > 60 m Structure are as under:

S. No.	Chainage (Km.)	Length (m)
(i)	At 175.450	0.846
	Total	0.846

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highways for crossing the toll plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under the Rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The Capital cost of the project is Rupees 88.235 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/625/CO/14-15/GC Nellore Bypass]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.